रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938
No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च 2016

फा.सं. वीकेएस/डीबी/03/सीजीडी.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण,प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, में,-

(क) विनियम 13 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामत:-

"(1) प्राधिकृत कंपनी मासिक व तिमाही आधार पर प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्यों, अनुमति का ब्यौरा तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित लब्ध प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची ड. पर दिए गए प्रपत्रों के तिमाही रिपोर्ट के प्रारूप ड. -1ए- सीजीडी, ड.-1बी -सीजीडी और मासिक रिपोर्ट के प्रारूप ड. -2 — सीजीडी, ड.-3 — सीजीडी, ड. -4—सीजीडी के अनुसार भर कर उपलब्ध कराएगी।";

(ii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामत:-

"(4) बोर्ड को आंकड़े / जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कंपनी एक अधिकारी को पदांकित करेगी और उसकी सूचना बोर्ड को देगी। पदांकित अधिकारी में कोई बदलाव होने पर 7 कार्य दिवस के भीतर प्राधिकृत कंपनी द्वारा बोर्ड को सूचित किया जाएगा।";

(ख) विनियम 14 में, उप-विनियम (9) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामत:-

"(10) अधिकृत कंपनी कमीशनिंग पश्चात की, सूचना / आंकड़े अनुसूची डं पर प्रस्तुत प्रारूप में तिमाही रिपोर्ट डं.-1ए-सीजीडी, डं.-1बी—सीजीडी और मासिक रिपोर्ट के प्रारूप डं.-2 —सीजीडी, डं. -3 - सीजीडी, डं. -4 — सीजीडी प्रारूपों के अनुसार भर कर प्रस्तुत करती रहेगी।'';

(ग) अनुसूची डं. के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

अनुसूची डं.

[विनियम 13 *(1)* एवं विनियम 14 *(10)* देखें]

क : आंकड़ों की तिमाही प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारूपों में की जाएगी:-

(i) सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारूप डं. -1ए- सीजीडी : भौतिक मापदंड

(ii) सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारूप डं. -1बी- सीजीडी : वित्तीय मापदंड

ख : आंकड़ों की मासिक प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारूपों में की जाएगी:-

(i) पीएनजी ग्राहकों पर मासिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप डं.-2-सीजीडी

(ii) सीएनजी की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप डं.-3-सीजीडी

(iii) प्राकृतिक गैस की बिक्री पर मासिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप डं.-4-सीजीडी

ग : उपरोक्त प्रारूप में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित सूचना एवं आंकड़ों का विश्लेशन बोर्ड द्वारा तुलना करके किया जाएगा -

कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति बनाम इसके डीएफआर में चिन्हित, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य;

(i) पीएनजी द्वारा कनेक्शन प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या तथा बिड में प्रतिबध्द संख्या या बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियत दिन से पहले प्राधिकृत कंपनियों के लिए तय या नियत तिथि से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में लगी हुई तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियां, यदि उन्होंने अपवर्जितता की मांग की है तो; और

(ii) वास्तव में बिछाई गई इंच-किमी स्टील पाइपलाइन तथा बिड में प्रतिबध्द पाइपलाइन या यथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियों के लिए तय केंद्र सरकार द्वारा नियत दिन से पहले सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में लगी हुई तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनियां, यदि उन कंपनियों ने अपवर्जितता की मांग की है।

घ : प्रगति की मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हो, की सूचना तुरंत समाधान हेतु कंपनी को भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबध्दताओं को पूरा करने में विलम्ब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, के विनियम 16 के तहत विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगें या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008, अथवा दोनों।

डं.: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, के विनियम 14 (7) की आवश्यक्ताओं के अनुरूप अनुपालन के मामले में कंपनी द्वारा एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा।

नोट : कंपनी द्वारा अनुपालन के संबंध में और स्वयं की संतुष्टि के लिए जो भी उचित हो आंकड़े अथवा सूचना प्राप्त करने का अधिकार बोर्ड के पास सर्वथा सुरक्षित है।

संलग्न प्रारूप:

अनुसूची- ङ./ प्रारूप ङ.-1ए- सीजीडी	सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट : भौतिक मापदंड				
1.समाप्य तिमाही रिपोर्ट		2.वर्ष			
3.कंपनी का नाम					
4.भौगोलिक क्षेत्र का नाम		5.राज्य			
		6.तिमाही के लिए		7.संचयी (प्रारम्भ से)	
		लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
8.जुड़े हुए पीएनजी ग्राहकों की स्थिति					
9.पाइपलाइन का इंच किलोमीटर		लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
(क) स्टील					
(ख) एमडीपीई					
10.पाइपलाइन की लम्बाई किलो-मीटर्स में		लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
(क) स्टील					
(ख) एमडीपीई					
11.संपीड़न क्षमता (किलोग्राम में) एवं क्म्प्रेसर्स की संख्या		लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
(क) ऑनलाइन/मुख्य	संपीड़न क्षमता(24 घंटे परिचालन)				
	क्म्प्रेसर्स की संख्या				
(ख) अन्य (बूस्टर आदि)	संपीड़न क्षमता(24 घंटे परिचालन)				
	क्म्प्रेसर्स की संख्या				
12.अन्य कोई सूचना (कृपया बॉक्स में लिखें)					
जहां कहीं लागू हो लक्ष्य के आंकड़े देवें। तिमाही लक्ष्य वर्ष का ¼ लिया जाए।					
13.रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:					
1) माह के लिए किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंद्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से 30 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महा प्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति, कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।					
14. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।					

अनुसूची- ड़ं./ प्रारूप ड़ं.-1बी- सीजीडी		सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट : वित्तीय मापदंड		
1.समाप्य तिमाही रिपोर्ट			2. वर्ष	
3.कंपनी का नाम				
4.भौगोलिक क्षेत्र का नाम			5. राज्य	
6.स्वामित्व विवरण	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
	नाम		शेयर%	
सभी आंकड़े लाख रुपयों में प्रस्तुत किए जाएं				
पूंजीगत निवेश				
7. अचल संपत्तियां		13.अर्जित राजस्व		
अथ शेष		परिचालन से राजस्व		
प्रत्यक्ष जोड़		अन्य आय – ब्याज आदि		
पूंजीगत कार्य प्रगति से हस्तांतरण		कुल राजस्व		
विलोपन		14.लाभ /हानि		
अंत शेष		कर से पूर्व लाभ		
8. पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)		कर		
अथ शेष		कर उपरांत लाभ		
परिवर्धन		15.ऋण स्थिति		
नियत परिसम्पत्ति के लिए हस्तांतरण		(क) मियादि ऋण		
विलोपन /हस्तांतरण		अथ शेष		
अंत शेष		जोड़ा गया		
9.संचालन व्यय		चुकाया		
बिक्री किए माल की लागत		अंत शेष		
उपयोगिताएं – बिजली और इंधन		औसत ब्याज दर (%)		
वेतन		(ख) कार्यशील पूंजी ऋण		
मरम्मत और रख-रखाव		अथ शेष		
सा. प्रशासनिक व्यय		तिमाही के दौरान चुकाया		
बीमा		निवल बदलाव		
अन्य		औसत ब्याज दर (%)		
10.वित्तीय व्यय		16. अन्य कोई सूचना (कृपया बॉक्स में लिखें)		
कार्यशील पूंजी पर ब्याज				
मियादि ऋण पर ब्याज				
11.ह्रास				
12. कुल व्यय				

17. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:
(1) माह के लिए किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंद्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से 60 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महा प्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए। (4) वार्षिक रिपोर्ट हेतु समाप्य वर्ष (4थी तिमाही) एक सनदी लेखाकार द्वारा भली भांति प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करें। (5) कृपया सुनिश्चित करें कि इस वर्ष की चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत आंकड़ों की कुल राशि कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक आंकड़ों के बराबर है।
18. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।

अनुसूची- ड./ प्रारूप-ड.-2 सीजीडी	पीएनजी ग्राहकों पर मासिक रिपोर्ट				
1.कंपनी का नाम					
2.भौगोलिक क्षेत्र का नाम			3.राज्य		
4.माह के लिए रिपोर्ट			5.वर्ष		
आंकड़े संख्या में					
6. माह	7. पीएनजी के जुड़े हुए ग्राहक			8.पीएनजी ग्राहक कुल	9. 90 दिनों से > लम्बित सक्रियकरण (घरेलू ग्राहक)
	घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक		
10.विगत वर्ष से आगे लाई गई संख्या					
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
11. संचयी योग					
12. अन्य कोई जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)					
13. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:					
1) माह के लिए किसी कॉलम में माह के लिए आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंद्राज करें (2) रिपोर्ट आगामी माह की तारीख तक प्रस्तुत की 2 जानी चाहिए। (3) रिपोर्ट की स्कैंड प्रति हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।					
14.नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।					

अनुसूची- ड./ प्रारूप-ड.-3सीजीडी	सीएनजी प्रगति मासिक रिपोर्ट									
1.कंपनी का नाम										
2.भौगोलिक क्षेत्र का नाम								3.राज्य		
4.माह के लिए रिपोर्ट								5.वर्ष		
	6. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति डेटा					7.वाहन रुपांतरण डेटा				
8. माह	9. जोड़े गए सीएनजी स्टेशनों की संख्या					10. सीएनजी में परिवर्तित वाहन				
	मुख्य-सह ऑनलाइन	ऑनलाइन	डॉटर बूस्टर	डॉटर	कुल सीएनजी स्टेशन	कार/ टैक्सी	ऑटो	बस	अन्य	कुल
11.विगत वर्ष से आगे लाई गई संख्या										
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितम्बर										
अक्टूबर										
नवम्बर										
दिसम्बर										
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										
12. संचयी योग										
13.माह के प्रारम्भ में सीएनजी का बिक्री मूल्य(रु./ किलोग्राम)										
14.अन्य कोई जानकारी(कृपया बॉक्स में लिखें)										
15. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:										
1) माह के लिए किसी कॉलम में माह के लिए आंकड़े शून्य होने पर; कृपया '0' इंद्राज करें (2) रिपोर्ट आगामी माह की तारीख तक प्रस्तुत 20 की जानी चाहिए। (3) रिपोर्ट की स्कैंड प्रति हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।										
16. नोट : कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।										

अनुसूची- ङ./ प्रारूप-ङ.-4-सीजीडी	प्राकृतिक गैस बिक्री की मासिक रिपोर्ट				
1.कंपनी का नाम					
2.भौगोलिक क्षेत्र का नाम			3.राज्य		
4.माह के लिए रिपोर्ट			5.वर्ष		
बिक्री के आंकड़े 3 दशमलव इकाई तक दिए जाएं					
6. माह	7.सीएनजी बिक्री (किलोग्राम)	--------------------- घरेलू	व्यावसायिक औद्योगिक ----------------------------------- व्यावसायिक	औद्योगिक	9.प्राकृतिक गैस की कुल बिक्री(सीएनजी+पीएनजी)
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
10.संचयी योग					
11. माह के प्रारम्भ में घरेलु पीएनजी का बिक्रय मूल्य रु./एससीएम में >>>					
12. अन्य कोई जानकारी(कृपया बॉक्स में लिखें)					
13. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:					
1) माह के लिए किसी कॉलम में माह के लिए आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंद्राज करें (2) रिपोर्ट आगामी माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। (3) रिपोर्ट की स्कैंड प्रति हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।					
14. नोट : कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।					

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./417]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा.का.नि.196(अ.) दिनांक 19/03/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 800(अ.) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि 295 (अ.) दिनांक 30/04/2009, सा.का.नि 478(अ.) दिनांक 07/06/2010, सा.का.नि 605 (अ.) दिनांक 19/07/2010, फा.सं. पीएनजीआरबी /सीजीडी/ रेग्युलेशंस/रिव्यु-2011/2012-III दिनांक 21/06/2013,एवं फा.सं. पीएनजी आरबी/सीजीडी /बिड / 4/2013-प्रि बिड दिनांक07/04/2014, फा.सं.एल-मिस/VI/I/2007 दिनांक 01/01/2015, पीएनजीआरबी / सीजीडी/ रेग्युलेशंस / अमेंड / 2015 दिनाक 13/02/2015 तथा पीएनजीआरबी / सीजीडी/ रेग्युलेशंस / अमेंड / 2015 दिनाक 11/12/2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March 2016

F. No. VKS/DB/03/CGD.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,-

(a) in regulation 13, -

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) a authorized entity shall provide, on a monthly and quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and other relevant information in the forms at Schedule E as per formats E-1A-CGD, E-1B-CGD for quarterly reports and E-2-CGD, E-3-CGD and E-4-CGD for monthly reports.";

(ii) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be added, namely:-

"(4) An authorized entity shall designate an official of the entity for submitting data / information to the Board and intimate the same to the Board. Any change in the designated official shall be communicated to the Board by the authorized entity within 7 working days.";

(b) in regulation 14, after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be added, namely:-

"(10) An authorized entity shall continue to submit post commissioning information in the forms at Schedule E as per formats E-1A-CGD, E-1B-CGD for quarterly reports and E-2-CGD, E-3-CGD and E-4-CGD for monthly reports.";

(c) for Schedule E, the following shall be substituted, namely:-

"Schedule E

[see regulation 13 (1) and regulation 14 (10)]

A: Quarterly submission of data by authorized entity in the following formats appended here below:-

(i) Format E-1A-CGD for Quarterly progress Report on CGD: Physical Parameters

(ii) Format E-1B-CGD for Quarterly progress Report on CGD: Financial Parameters

B: Monthly submission of data by authorized entity in the following formats appended here below:-

(i) Format E-2-CGD for Monthly Report on PNG Customers

(ii) Format E-3-CGD for Monthly Report on Progress of CNG

(iii) Format E-4-CGD for Monthly Report on Sale of Natural Gas

C: The data and information required to be submitted by the entity in the above formats shall be analyzed by the Board by comparing the –

(i) actual progress made by the entity versus the physical and financial targets, identified in its DFR;

(ii) actual number of domestic customers connected by PNG versus the numbers committed in the bid or as fixed by the Board for the entities authorized by the Central Government before the appointed day or for the entities laying, building, operating or expanding the CGD network before the appointed day and authorized by the Board in case such entities have sought exclusivity; and

(iii) inch-kilometre of steel pipeline actually laid versus that committed in the bid or as fixed by the Board for the entities authorized by the Central Government before the appointed day or for the entities laying, building, operating or expanding the CGD network before the appointed day and authorized by the Board in case such entities have sought exclusivity.

D: Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity on an annual basis for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 or under regulation 10 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, or both.

E: A Self certification shall be submitted by the entity in terms of its compliance with the requirements of regulation 14 (7) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

Note: The Board reserves the right to seek any information or data from the entity, as it may deem to be fit, to satisfy itself to the compliance by the entity.

Appended Formats:

Schedule-E / Format: E-1A-CGD	Quarterly Progress Report on CGD: Physical Parameters				
1. Report for the Quarter ending			2. Year		
3. Name of Entity					
4. Name of Geographical Area			5. State		
		6. For the Quarter		7. Cumulative (since inception)	
		Target*	Actual	Target	Actual
8. . Status of PNG Customers connected					
9. Inch-Kilometer of Pipeline		Target*	Actual	Target	Actual
(a) Steel					
(b) MDPE					
10. Pipeline Length in Kilometers		Target*	Actual	Target	Actual
(a) Steel					
(b) MDPE					
11. Compression Capacity (in Kgs.) & No. of Compressors		Target*	Actual	Target	Actual
(a) Online / Mother	Compression Capacity (24 hrs. operation)				
	Number of Compressors				
(b) Others (Booster etc.)	Compression Capacity (24 hrs. operation)				
	Number of Compressors				
12. Any other information (Please write in the box)					
* Target figures may be given wherever applicable. Quarterly target may be taken as 1/4th of annual target.					
13. Important guidelines for submitting the report:					
1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 30 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.					
14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.					

Schedule-E / Format: E-1B-CGD		Quarterly Progress Report on CGD: Financial Parameters		
1. Report for the Quarter ending			2. Year	
3. Name of Entity				
4. Name of Geographical Area			5. State	
6. Ownership Details	Name		Share (%)	
	Name		Share (%)	
	Name		Share (%)	
	Name		Share (%)	
All figures to be in Lacs Rupees unless specified otherwise				
Capital Investments				
7. Fixed Assets		13. Revenue Earned		
Opening balance		Revenue from operations		
Direct additions		Other income - Interest etc.		
Transfer from Capital Work-in-Progress		Total Revenue		
Deletions		14. Profit/Loss		
Closing balance		Profit / Loss before tax		
8. Capital Work-in-Progress (CWIP)		Tax		
Opening balance		Profit after tax		

Additions		15. Loans Status	
Transfer to fixed assets		(a) Term Loans	
Deletions / Transfers		Opening balance	
Closing balance		Added	
9. Operating Expenses		Repaid	
Cost of goods sold		Closing balance	
Utilities - Power and Fuel		Average Interest Rate (%)	
Salaries		(b) Working Capital Loans	
Repair and maintenance		Opening balance	
Gen. administrative expenses		Repaid during quarter	
Insurance		Nett Change	
Others		Average Interest Rate (%)	
10. Financial Expenses		16. Any other information (Please write in the box)	
Interest on Working capital			
Interest on term loans			
11. Depreciation			
12. Total Expenses			

17. Important guidelines for submitting the report:

1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 60 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report. (4) Annual report for the year-end (4th Quarter) should be submitted duly certified by a Chartered Accountant (CA) (5) Please ensure that sum total of figures submitted for four quarters of the year is equal to the company's audited annual data.

18. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.

Schedule-E / Format: E-2-CGD	Monthly Report on PNG Customers		
1. Name of the Entity			
2. Name of Geographical Area		3. State	
4. Report for the month of		5. Year	

Figures in Numbers

6. Months	7. PNG Customers Connected			8. Total PNG Customers	9. Pending Activation for > 90 days (Domestic Customers)
	DOMESTIC	COMMERCIAL	INDUS-TRIAL		
10. No. B/F from Previous Year					
April					
May					
June					
July					
August					
September					
October					
November					
December					
January					
February					
March					
11. Cumulative Total					
12. Any other information (Please write in the box)					

13. Important guidelines for submitting the report:

1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0' (2) Report must be submitted by 20th of the following month (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded within 7 days from the date of submitting report online as per instructions given for uploading the report.

14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.

Schedule-E / Format: E-3-CGD	Monthly Report on Progress of CNG									
1. Name of Entity										
2. Name of Geographical Area								3. State		
4. Report for the month of								5. Year		
	6. Infrastructure Progress Data					7. Vehicle Conversion Data				
8. Month	9. Number of CNG Stations Added					10. Vehicles Converted to CNG				
	Mother cum Online	Online	Daughter Booster	Daughter	Total CNG Stations	Cars / Taxies	Autos	Buses	Others	Total
11. No. B/F from Previous Year										
April										
May										
June										
July										
August										
September										
October										
November										
December										
January										
February										
March										
12. Cumulative Total										
13. CNG Selling Price at beginning of the month (Rs./Kg)										
14. Any other information (Please write in the box)										
15. Important guidelines for submitting the report:										
1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0' (2) Report must be submitted online by 20th of the following month (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded within 7 days from the date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.										
16. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.										

Schedule-E / Format: E-4-CGD	Monthly Report on Sale of Natural Gas				
1. Name of the Entity					
2. Name of Geographical Area				3. State	
4. Report for the month of				5. Year	
Figures to be given in selling unit up to three decimals					
6. Months	7. CNG Sales (KG.)	8. PNG Sales (SCM)			9. Total Natural Gas Sales (CNG + PNG)
		DOMESTIC	COMMERCIAL	INDUSTRIAL	
April					
May					
June					
July					
August					
September					
October					
November					
December					
January					
February					
March					
10. Cumulative Total					
11. Selling price of Domestic PNG at beginning of the month in Rs./SCM >>>					Domestic
12. Any other information (Please write in the box)					
13. Important guidelines for submitting the report:					
1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0' (2) Report must be submitted by 20th of the following month (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded with in 7 days from the date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.					
14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.					

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./417]